भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4831

जिसका उत्तर सोमवार, 23 मार्च, 2026/2 चैत्र, 1948 (शक) को दिया गया

सहकारी समितियों के लिए रुपे किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराना

†4831. श्री प्रदीप कुमार सिंहः
श्रीमती कमलजीत सहरावतः
श्री लुम्बाराम चौधरीः
श्रीमती कृति देवी देबबर्मनः
श्री योगेन्द्र चांदोलियाः
श्री अनूप संजय धोत्रे:
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटीः
श्री हरीभाई पटेलः
श्री सतीश कुमार गौतमः
श्री भरतसिहंजी शंकरजी डाभीः
श्री प्रवीण पटेलः
श्री विष्णुदयाल रामः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बनासकांठा और पंचमहल जिलों में शुरु की गई प्रायोगिक परियोजना का जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) की सेवा के विस्तार पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) देश में "सहकारी समितियों के बीच सहयोग" अभियान के अंतर्गत अब तक कितने रुपे किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं और तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा रुपे किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से डेयरी और अन्य सहकारी समितियों के सदस्यों को समय पर और कम ब्याज दर पर ऋण सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्यों से इतर देश भर के सभी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में सहकारी समितियों के सदस्यों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड की सेवा बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इसकी समय-सीमा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहकारी बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों (पीडीसीएस) और अन्य सहकारी निकायों के सभी वित्तीय लेनदेन के मार्गों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2024 में गुजरात के बनासकांठा और पंचमहल जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) में एक पायलट परियोजना शुरू की गई थी। उक्त पायलट परियोजना के अंतर्गत पीडीसीएस को माइक्रो-एटीएम से समर्थ बनाया गया था और डिजिटल लेनदेन करने के लिए वित्तीय साक्षरता शिविरों के माध्यम से जागरूकता सृजित की गई थी।

(ख): दिनांक 28.02.2026 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण सहकारी बैंकों द्वारा जारी रुपे किसान क्रेडिट कार्ड का राज्यवार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ग): सरकार ने डेयरी और अन्य सहकारी समितियों को समय पर और वहनीय ऋण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ,* निम्नलिखित शामिल हैं -

i) वित्तीय वर्ष 2018-19 में पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले किसानों के लिए ब्याज अनुदान के लाभों के साथ केसीसी योजना का विस्तार किया गया है।

ii) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने घोषणा की है कि संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण सहित, 2 लाख रुपए की सीमा तक, कृषि ऋण संपार्श्विक की आवश्यकता के बिना दिनांक 01.01.2025 से प्रदान किए जा सकते हैं ।

iii) प्रभावी सेवा वितरण में भुगतान इकोसिस्टम प्रतिभागियों की सहायता करने के लिए, सरकार ने "रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन (पी2एम)" को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना लागू की है, जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा अधिग्रहण बैंक (व्यापारी बैंक) को प्रोत्साहन का भुगतान किया जाता है ।

(घ) और (ङ): रुपे केसीसी योजना 2012 में शुरू की गई थी और यह योजना आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार देश भर के सभी सहकारी बैंकों पर पहले से ही लागू है।

अनुबंध

"सहकारी समितियों के लिए रुपे किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराना" के संबंध में दिनांक 23.03.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.4831 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

ग्रामीण सहकारी बैंकों द्वारा संचयी रूप से जारी किए गए रुपे केसीसी के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	**दिनांक 28.02.2026 की स्थिति के अनुसार जारी किए गए रुपे किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या**
आंध्र प्रदेश	9,54,858
असम	3,113
बिहार	27,537
छत्तीसगढ़	2,02,262
गुजरात	8,90,128
हरियाणा	35,513
जम्मू और कश्मीर	2,838
झारखंड	70
कर्नाटक	16,08,289
मध्य प्रदेश	74,002
महाराष्ट्र	7,28,502
मणिपुर	2,280
ओडिशा	58,717
पुदुचेरी	1,813
पंजाब	20,970
राजस्थान	80,686
तमिलनाडु	18,04,661
तेलंगाना	3,82,753
उत्तर प्रदेश	1,54,124
उत्तराखंड	72,066
पश्चिम बंगाल	1,327
कुल	**71,06,509**
